

समाहरणालय, गढ़वा
(जिला समाज कल्याण)

निविदा सूचना

सरकार के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची के आवंटन पत्रांक 58, दिनांक- 03.08.2017 से वित्तीय वर्ष- 2017-18 में कमशः जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/अन्य क्षेत्रीय उपयोजना एवं विशेष अंगिभूत उपयोजना अन्तर्गत दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग/प्रत्यंग प्रदान करने के निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक- 08.11.2017 को 3 बजे अपराह्न तक जिला समाज कल्याण कार्यालय, गढ़वा में जमा ली जायेगी, तथा दिनांक-08.11.2017 को 4 बजे अपराह्न अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायेगी।

दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग/प्रत्यंग सामग्रियों का विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	सामग्री का नाम	क्र.सं.	सामग्री का नाम
1	KA.FO (Adult)	10	BK. (Adult) (Below knee) Artificial Limb
2	KAFO (Medium)	11	BK. (Child) (Below knee) Artificial Limb
3	KAFO (Child)	12	AK. (Adult) (Above knee) Artificial Limb
4	H.K.AFO. (Adult)	13	AK. (Child) (Above knee) Artificial Limb
5	H.K.AFO. (Medium)	14	AE. (Adult) (Above Elbow) Artificial Limb
6	H.KA.FO. (Child)	15	AE. (Child) (Above Elbow) Artificial Limb
7	A.FO. (Adult)	16	BE. (Adult) (Below Elbow) Artificial Limb
8	A.FO. (Medium)	17	BE. (Child) (Below Elbow) Artificial Limb
9	AFO. (Child)		

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदादाता को निविदा के साथ 10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पदनाम से हो, जमा करना होगा।
2. निविदादाता को ALIMCO कम्पनी का डीलर हो तथा झारखण्ड राज्य में पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को आयकर (विगत तीन वर्षों का ऑडीट रिपोर्ट सी.ए. द्वारा निर्गत) एवं बिक्रीकर का अध्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि वित्तीय विड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. दिव्यांग व्यक्तियों को जिनका कृत्रिम अंग/प्रत्यंग तैयार किये जाने के उपरांत निर्धारित कैम्प में फिटिंग करना होगा।
5. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा।
6. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का कर अलग से देय नहीं होगा।
7. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने अथवा रद्द करने या निविदा की स्वीकृति आगे बढ़ाने का अधिकार उपायुक्त, गढ़वा के पास सुरक्षित रहेगा, जिसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है।
8. निविदा के अंतिम निरस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा की गई बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
9. प्रत्येक सामान का एक ही दर एवं नमूना देना होगा एक से अधिक दर या नमूना होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा खुलने के समय प्रत्येक सामग्री का एक ही नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. तकनीकी वीड एवं वित्तीय वीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में देना आवश्यक होगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनीकी वीड/वित्तीय वीड अंकित रहनी चाहिए।
11. सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा नमूनें के अनुरूप कृत्रिम अंग/प्रत्यंग नहीं लगाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
12. तकनीकी विशिष्टताएँ गढ़वा जिला के Website- garhwa.nic.in पर देखा जा सकता है।

28/10
उपायुक्त,
गढ़वा